प्लान है राइट, फ्यूचर है ब्राइट.

सिर्फ़ ऑनलाइन उपलब्ध

एलआईसी का डिजी क्रेडिट लाइफ़

यूआईएन: 512N358V01 । प्लान नं. 878

एक नॉन-पार, नॉन-लिंक्ड, जीवन, व्यक्तिगत, शुद्ध जोखिम प्लान.

एक शुद्ध जोखिम प्लान जो आपके ऋण पर जोखिम सुरक्षा प्रदान करता है.

- ₹50 लाख की न्यूनतम मूल बीमा राशि.
- उच्च बीमा राशि के लिए प्रीमियम रियायत.
- महिलाओं के लिए विशेष दरें.

*नियम एवं शर्तें लागू

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

LIC/R1/2024-25/26/HIN

अधिक जानकारी के लिए www.licindia.in पर जाएं

LIC मोबाइल ऐप डाउनलोड करें LIC digital

कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827

हमारा वॉट्सएप नं. 8976862090 कहिए 'Hi'

Follow us : LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

एलआईसी का डिजी क्रेडिट लाइफ
(UIN: 512N358V01)
(एक असहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत, विशुद्ध जोखिम प्लान)

एलआईसी की डिजी क्रेडिट लाइफ प्लान एक असहभागी, असंबद्ध, जीवन, वैयक्तिक, विशुद्ध जोखिम प्लान है। इस प्लान के अंतर्गत पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को किसी भी ऋण चुकौती के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाती है। **यह प्लान केवल ऑनलाइन उपलब्ध होगी और इसे www.licindia.in वेबसाइट के माध्यम से सीधे खरीदा जा सकता है।**

यह एक नॉन–पार उत्पाद है, जहाँ पॉलिसी अवधि के दौरान अधिशेष (लाभ) में किसी भी हिस्से के लिए पॉलिसी को कोई पात्रता नहीं होती है।

एलआईसी की डिजी क्रेडिट लाइफ एक विशुद्ध घटती अवधि बीमा प्लान है, जिसमें पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु लाभ कम होता चला जाएगा। पॉलिसीधारक द्वारा लिए गए ऋण की शर्तों और नियमों के आधार पर मूल बीमा राशि, पॉलिसी अवधि और ब्याज दर का चयन किया जाएगा। पॉलिसीधारक द्वारा चुनी गई मूल बीमा राशि, पॉलिसी की अवधि और ब्याज दर पर आधारित जोखिम बीमा–सुरक्षा की अनुसूची तैयार की जाएगी। जोखिम बीमा–सुरक्षा की अनुसूची के लिए उपलब्ध ब्याज दरें 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11% और 12% प्रति वर्ष हैं, भले ही पॉलिसीधारक द्वारा लिए गए ऋण पर ऋण प्रदाता द्वारा लगाई जाने वाली ब्याज की दर कुछ भी हो। जोखिम बीमा–सुरक्षा की अनुसूची में प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के लिए मृत्यु पर बीमा राशि (मृत्यु हितलाभ) दर्शाई गई है और वास्तविक ऋण के पुनर्भुगतान से निरपेक्ष, समीकृत वार्षिक पुनर्भुगतान आधार पर प्रभावी चुनी गई ब्याज दर पर आधारित होगी। आरंभ में, **मृत्यु पर बीमा राशि** मूल बीमा राशि के बराबर होगी और तत्पश्चात प्रत्येक पॉलिसी वर्ष में, **मृत्यु पर बीमा राशि** जोखिम बीमा–सुरक्षा की अनुसूची में जैसा कि उल्लेख किया गया है, तदनुसार होगी। इसलिए, जोखिम बीमा–सुरक्षा की अनुसूची में जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है, मृत्यु हितलाभ वास्तविक बकाया ऋण से अधिक या कम हो सकता है।

1. मुख्य विशेषताएँ

- चुनने का विकल्प
  - o एकल प्रीमियम और सीमित प्रीमियम भुगतान में से चयन
  - o पॉलिसी अवधि/प्रीमियम भुगतान अवधि का चयन
- महिलाओं के लिए विशेष दरें।
- आकर्षक उच्च बीमा राशि छूट का लाभ।
- प्रीमियम दरों की दो श्रेणियाँ, यानी (1) धूम्रपान नहीं करने वालों के लिए दरें और (2) धूम्रपान करने वालों के लिए दरें। धूम्रपान न करने वालों की दरों का आवेदन मूत्र संबंधी कोटिनीन परीक्षण के निष्कर्षों पर आधारित होगा। अन्य सभी मामलों में, धूम्रपान करने वालों की दरें लागू होंगी।
- पॉलिसी की शुरुआत में पॉलिसीधारक के लिए उपयुक्त ऋण ब्याज दर का विकल्प।

2. पात्रता की शर्तें तथा अन्य प्रतिबंध :

ए) प्रवेश की न्यूनतम उम्र : 18 वर्ष (पिछला जन्मदिन)

बी) प्रवेश की अधिकतम उम्र : 45 वर्ष (पिछला जन्मदिन)

सी) परिपक्वता की न्यूनतम उम्र : 23 वर्ष (पिछला जन्मदिन)

डी) परिपक्वता की अधिकतम उम्र : 75 वर्ष (पिछला जन्मदिन)

ई) न्यूनतम मूल बीमा राशि : रु. 50,00,000/-

एफ) अधिकतम मूल बीमा राशि : रु. 5,00,00,000

बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिमांकन नीति के अनुसार जोखिमांकन निर्णय के अनुसार रु. 5,00,00,000 से अधिक की मूल बीमा राशि पर उस मामले के अनुसार पर विचार किया जा सकता है, जो ऐसे मामलों की स्वीकृति/स्वीकृति के लिए नियम और शर्तों पर पुनर्बीमाकर्ता के निर्णय के अधीन है।

मूल बीमा राशि नीचे निर्दिष्ट राशियों के गुणकों में होगी:

मूल बीमा राशि सीमा	मूल बीमा राशि गुणक
रु. 50,00,000 से रु. 75,00,000 तक	रु. 1,00,000
रु. 75,00,000 से अधिक से लेकर रु. 1,50,00,000 तक	रु. 25,00,000
रु. 1,50,00,000 से अधिक से लेकर रु. 4,00,00,000 तक	रु. 50,00,000
रु. 4,00,00,000 से अधिक	रु. 1,00,00,000

जी) पॉलिसी अवधि और प्रीमियम भुगतान शर्तें:

पॉलिसी अवधि	प्रीमियम भुगतान अवधि
5 वर्ष से 30 वर्ष	एकल
10 वर्ष से 30 वर्ष	5 वर्ष
15 वर्ष से 30 वर्ष	10 वर्ष
25 वर्ष से 30 वर्ष	15 वर्ष

एच) न्यूनतम प्रीमियम : सीमित प्रीमियम पॉलिसियों के लिए न्यूनतम किस्त प्रीमियम रु.3,000 और एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए रु.11,000 होगी।

3. हितलाभ

एक चालू पॉलिसी के अंतर्गत निम्नलिखित हितलाभ देय हैं:

ए) मृत्यु हितलाभ:

जोखिम शुरू होने की तिथि के बाद, लेकिन परिपक्वता की निर्धारित तिथि से पहले पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर देय मृत्यु हितलाभ, **"मृत्यु पर बीमा राशि"** होगी, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो और दावा स्वीकार्य हो।

सीमित प्रीमियम भुगतान पॉलिसी के लिए "मृत्यु पर बीमा राशि" निम्नांकित में से उच्चतम राशि के रूप में परिभाषित की गयी है:

- मृत्यु की तिथि तक "भुगतान किए गए कुल प्रीमियम" का 105%; या
- मृत्यु पर अदा की जाने वाली सुनिश्चित बीमा राशि

जहाँ, "भुगतान की गई कुल प्रीमियम" का अर्थ है आधार उत्पाद के अंतर्गत भुगतान की गई सभी प्रीमियमों का योग, जिसमें कोई अतिरिक्त प्रीमियम और कर शामिल नहीं हैं, यदि इन्हें स्पष्ट रूप से लिया गया हो।

एकल प्रीमियम पॉलिसी के लिए "मृत्यु पर बीमा राशि" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

- मृत्यु पर अदा की जाने वाली सुनिश्चित बीमा राशि

जहाँ एकल प्रीमियम करों और बीमांकन अतिरिक्त प्रीमियम को छोड़कर देय प्रीमियम राशि होगी।

मृत्यु होने पर भुगतान की जाने वाली निश्चित बीमा राशि जोखिम बीमा–सुरक्षा की अनुसूची में जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है, तद्नुसार होगी।

जोखिम बीमा–सुरक्षा की अनुसूची में प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के लिए मृत्यु पर बीमा राशि दर्शाई गई है और वास्तविक ऋण के पुनर्भुगतान के बावजूद, समान वार्षिक पुनर्भुगतान के आधार पर प्रभावी प्रतिवर्ष चुनी गई ब्याज दर पर आधारित होगी। आरंभ में, मृत्यु पर बीमा राशि मूल बीमा राशि के बराबर होगी और तत्पश्चात प्रत्येक पॉलिसी वर्ष में, मृत्यु पर बीमा राशि जोखिम बीमा–सुरक्षा की अनुसूची में जैसा कि उल्लेख किया गया है, तद्नुसार होगी। जोखिम बीमा–सुरक्षा की अनुसूची में मृत्यु हितलाभ वास्तविक बकाया ऋण से अधिक या कम हो सकता है, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है।

बी) परिपक्वता लाभ:

पॉलिसी अवधि के अंत तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, कोई परिपक्वता लाभ देय नहीं है।

4. इस प्लान के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प (ऋण की शीघ्र चुकौती के मामले में)

यदि किसी बीमित व्यक्ति द्वारा पॉलिसी अवधि के अंत से पहले बकाया ऋण चुका दिया जाता है, तो उसके पास निम्नलिखित दो विकल्प होंगे:

- **अपनी बीमा–सुरक्षा को अभ्यर्पित करना।**

ऐसे निरस्तीकरण पर नीचे पैरा 11 में निर्दिष्ट चालू जोखिम प्रीमियम मूल्य, यदि कोई हो, के बराबर राशि देय होगी।

- **पॉलिसी अवधि के अंत तक पॉलिसी जारी रखना।**

पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में, जोखिम बीमा–सुरक्षा अनुसूची के अनुसार नामिती को मृत्यु हितलाभ देय होगा।

5. प्रीमियमों का भुगतान

इस प्लान के अंतर्गत प्रीमियमों का भुगतान सीमित प्रीमियम या एकल प्रीमियम भुगतान विकल्पों के अंतर्गत किया जा सकता है। सीमित प्रीमियम भुगतान के मामले में, प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान प्रीमियम का भुगतान नियमित रूप से किया जा सकता है, जिसमें वार्षिक या अर्ध–वार्षिक आधार पर प्रीमियम भुगतान की विधियाँ शामिल हैं।

भुगतान योग्य प्रीमियम बीमित व्यक्ति की आयु, धूम्रपान की स्थिति, पॉलिसी अवधि, प्रीमियम भुगतान अवधि, मूल बीमित राशि और चुनी गई ब्याज दर पर निर्भर होगी। उदाहरण के लिए, यदि बीमित व्यक्ति ने 7.25% की दर से ऋण लिया है, तो उसके द्वारा जोखिम बीमा–सुरक्षा अनुसूची तैयार करने के उद्देश्य से 7% या 8% की ब्याज दर चुनी जा सकती है।

एकल प्रीमियम के अंतर्गत, न्यूनतम प्रीमियम रु. 11,000 होगी। सीमित प्रीमियम विधि के अंतर्गत न्यूनतम किस्त प्रीमियम रु. 3,000 होगी।

6. अनुग्रह अवधि (सीमित प्रीमियम भुगतान के लिए लागू):

वार्षिक या अर्ध–वार्षिक प्रीमियमों के भुगतान के लिए पहले अदत्त प्रीमियम की तारीख से 30 दिन की अनुग्रह अवधि की अनुमति दी जाएगी। इस अवधि के दौरान, इस पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, यह पॉलिसी बिना किसी रुकावट के, जोखिम बीमा–सुरक्षा के साथ प्रभावी मानी जाएगी। यदि अनुग्रह अवधि के दिन पूरे होने से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाती है।

ऐसी पॉलिसियों के अंतर्गत प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से अनुग्रह अवधि की समाप्ति के पश्चात सभी लाभ समाप्त हो जाएंगे तथा कुछ भी देय नहीं होगा।

7. नमूने के लिए उदाहरणार्थ प्रीमियम

विभिन्न प्रीमियम भुगतान विकल्पों के अंतर्गत 25 वर्ष की पॉलिसी अवधि के लिए धूम्रपान न करने वाले, पुरुष, मानक जीवन के लिए रु. 50 लाख की मूल बीमा राशि के लिए 8% की ब्याज दर पर नमूने हेतु उदाहरणार्थ प्रीमियम निम्नानुसार हैं:

आयु (पिछला जन्मदिन वर्षों में)	एकल प्रीमियम (रु. में)	5 वर्ष की सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए वार्षिक प्रीमियम (रु. में)	10 वर्ष की सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए वार्षिक प्रीमियम (रु. में)	15 वर्ष की सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए वार्षिक प्रीमियम (रु. में)
20	34,550	8,050	4,800	3,800
30	45,500	10,500	6,250	4,900
40	88,750	20,300	11,900	9,250

उपरोक्त प्रीमियम में कर शामिल नहीं हैं।

पॉलिसी अवधि 25 वर्ष और ऋण ब्याज दर 8% के लिए नमूने हेतु जोखिम बीमा–सुरक्षा अनुसूची निम्नानुसार है:

पॉलिसी वर्ष	संबंधित पॉलिसी वर्ष के लिए मृत्यु पर बीमित राशि	पॉलिसी वर्ष	संबंधित पॉलिसी वर्ष के लिए मृत्यु पर बीमित राशि	पॉलिसी वर्ष	संबंधित पॉलिसी वर्ष के लिए मृत्यु पर बीमित राशि
1	1000.00	11	801.84	21	374.03
2	986.32	12	772.31	22	310.28
3	971.55	13	740.42	23	241.42
4	955.59	14	705.97	24	167.05
5	938.36	15	668.77	25	86.74
6	919.75	16	628.59		
7	899.65	17	585.20		
8	877.95	18	538.34		
9	854.50	19	487.73		
10	829.19	20	433.07		

8. छूट/लोडिंग

मूल प्लान के लिए छूट/लोडिंग निम्नानुसार हैं:

(i) उच्च बीमित राशि छूट: : प्रीमियम भुगतान यानी सीमित प्रीमियम और एकल प्रीमियम, दोनों के लिए लागू छूटें निम्नानुसार हैं:

सीमित प्रीमियम:

आयु बंधन (एलबीडी)	विभिन्न मूल बीमा राशि बंधन के लिए सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम के % के रूप में उच्च बीमा-राशि छूट			
	रु. 50 लाख से रु. 1 करोड़ से कम तक	रु. 1 करोड़ से रु. 2 करोड़ से कम तक	रु. 2 करोड़ से रु. 5 करोड़ से कम तक	रु. 5 करोड़ और उससे अधिक
30 वर्ष तक	शून्य	15%	26%	33%
31 से 45 वर्ष तक	शून्य	14%	25%	32%

एकल प्रीमियम:

आयु बंधन (एलबीडी)	विभिन्न मूल बीमा राशि बंधन के लिए सारणीबद्ध एकल प्रीमियम के % के रूप में उच्च बीमा-राशि छूट			
	रु. 50 लाख से रु. 1 करोड़ से कम तक	रु. 1 करोड़ से रु. 2 करोड़ से कम तक	रु. 2 करोड़ से रु. 5 करोड़ से कम तक	रु. 5 करोड़ और उससे अधिक
30 वर्ष तक	शून्य	15%	27%	34%
31 से 45 वर्ष तक	शून्य	14%	25%	33%

(ii) प्रीमियम रुपांतरण घटक (सीमित प्रीमियम भुगतान के मामले में लागू):

प्रकार	प्रीमियम रुपांतरण घटक
वार्षिक	1
अर्ध-वार्षिक	0.51

9. पुनर्चलन: (सीमित प्रीमियम भुगतान के मामले में लागू):

यदि प्रीमियम का भुगतान अनुग्रह अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। एक कालातीत हो चुकी पॉलिसी को बीमित व्यक्ति के जीवनकाल के दौरान, लेकिन प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से 5 लगातार पूर्ण वर्षों की अवधि के भीतर और परिपक्वता की तिथि से पहले, जैसा भी मामला हो, पुनर्चलित किया जा सकता है। समय-समय पर निगम द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर पर ब्याज (अर्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि) सहित प्रीमियम के सभी बकाया के भुगतान पर एवं जानकारियों, दस्तावेजों और प्रतिवेदनों, जो पहले से उपलब्ध हैं और इस संबंध में कोई अतिरिक्त जानकारियों, यदि और जैसे भी पुनर्चलन के समय पर निगम की बीमांकन नीति के अनुरूप आवश्यक हो सकती हैं, जो कि पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाती है, के आधार पर बीमित व्यक्ति की निरंतर बीमा योग्यता की संतुष्टि पर पुनर्चलन प्रभावी होगा।

हालांकि, निगम द्वारा किसी बंद पॉलिसी के पुनर्चलन को मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों के साथ स्वीकार करने या उसे अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित

रखा जाता है। बंद हो चुकी पॉलिसी का पुनर्चलन तभी प्रभावी होगा, जब निगम द्वारा उसे अनुमोदित एवं स्वीकृत कर लिया जाता है और पुनर्चलन की रसीद जारी कर दी जाती है।

1 मई से 30 अप्रैल तक प्रत्येक 12 महीने की अवधि के लिए इस योजना के अंतर्गत पुनर्चलन के लिए लागू ब्याज की दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यवसायिक दिन के अनुसार 10 वर्ष जी–सेक दर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्ध–वार्षिक एवं 3% के योग या निगम के असंबद्ध, अप्रतिभागी फंड पर अर्जित लाभ एवं 1% के योग में से जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 महीने की अवधि के लिए लागू ब्याज दर 9.50% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि होगी। पॉलिसी के पुनर्चलन के लिए ब्याज दर के निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

यदि कोई कालातीत पॉलिसी पुनर्चलन अवधि के भीतर, लेकिन परिपक्वता की तिथि से पहले पुनर्चलित नहीं की जाती है, तो पॉलिसी स्वत: रूप से समाप्त हो जाएगी और चालू जोखिम प्रीमियम मूल्य, यदि कोई हो, के बराबर राशि देय होगी।

10. चुकता

इस प्लान के अंतर्गत कोई चुकता मूल्य उपलब्ध नहीं है।

11. अभ्यर्पण

इस प्लान के अंतर्गत पॉलिसी का अभ्यर्पण किए जाने पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा। हालाँकि, निम्नलिखित मामलों में पॉलिसी के अभ्यर्पण पर

ए) एकल प्रीमियम पॉलिसियाँ: पॉलिसी अवधि के दौरान लागू चालू जोखिम प्रीमियम मूल्य, यदि कोई हो, किसी भी समय देय होगा।

बी) सीमित प्रीमियम भुगतान : लागू चालू जोखिम प्रीमियम मूल्य, यदि कोई हो, केवल तभी देय होगा, जब कम से कम निम्नलिखित के लिए पूरी प्रीमियम का भुगतान किया गया हो:

i) यदि प्रीमियम भुगतान की अवधि 5 वर्ष है तो लगातार दो वर्ष।

ii) यदि प्रीमियम भुगतान अवधि 10 वर्ष और 15 वर्ष है तो लगातार तीन वर्ष।

कालातीत पॉलिसी के मामले में, पुनर्चलन अवधि के दौरान पॉलिसी का अभ्यर्पण करने पर, लागु चालू जोखिम प्रीमियम मूल्य, यदि कोई हो, देय होगा। हालाँकि, पुनर्चलन अवधि के समाप्त हो जाने पर पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और चालू जोखिम प्रीमियम मूल्य, यदि कोई हो, का भुगतान पॉलिसीधारक को किया जाएगा। पुनर्चलन अवधि के दौरान कालातीत पॉलिसी के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने के मामले में, लागू चालू जोखिम प्रीमियम मूल्य, यदि कोई हो, देय होगा।

12. पॉलिसी पर ऋण:

इस प्लान के तहत कोई भी ऋण उपलब्ध नहीं होगा।

13. कुछ अन्य स्थितियों में जब्ती:

यदि ऐसा पाया जाता है कि प्रस्ताव पत्र में, व्यक्तिगत बयान/कथन में, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य अथवा गलत बयान निहित है या कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई गई है तो तब और ऐसे प्रत्येक मामले में यह पॉलिसी निरस्त हो जाएगी और इस कारण से, किसी भी हितलाभ के दावों पर, समय–समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे।

14. पॉलिसी का समापन:

निम्नलिखित में से सबसे पहले कोई भी स्थिति घटित होने पर, पॉलिसी तुरंत और स्वत: ही समाप्त हो जाएगी:

ए) वह तिथि जिस पर मृत्यु हितलाभ का भुगतान किया जाता है; या

बी) वह तिथि, जिस पर चालू जोखिम प्रीमियम मूल्य, यदि कोई हो, का निपटान पॉलिसी के अभ्यर्पण के मामले में किया जाता है; या

सी) परिपक्वता तिथि पर; या

डी) पुनर्चलन की अवधि समाप्त होने पर, यदि पॉलिसी पुनर्चलित न की गयी हो; या

ई) नि:शुल्क अवलोकन निरस्तीकरण की राशि का भुगतान हो जाने पर।

एफ) ऊपर पैरा 13 में निर्दिष्ट जब्ती की स्थिति में

15. कर:

भारत सरकार अथवा किसी अन्य संवैधानिक कर प्राधिकारी द्वारा ऐसी बीमा प्लान पर यदि कोई वैधानिक कर लगाया जाता है, तो वह समय समय पर लागू कर कानूनों और कर की दरों के अनुसार होंगे।

प्रीमियमों पर पॉलिसीधारक द्वारा प्रचलित दरों के अनुसार लागू करों की राशि अतिरिक्त प्रीमियम सहित, यदि कोई हो, देय होगी, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम के अतिरिक्त अलग से वसूल किया जाएगा। भुगतान किए गए कर की राशि को प्लान के अंतर्गत देय किसी भी लाभ की गणना के लिए नहीं माना जाएगा।

भुगतान की गई प्रीमियम पर आयकर लाभ/निहितार्थ और इस प्लान के अंतर्गत देय लाभों के बारे में, विवरण के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।

16. निशुल्क अवलोकन अवधि (फ्री लुक पीरियड):

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के “नियमों और शर्तों” से संतुष्ट नहीं है, तो इस पॉलिसी को आपत्तियों के कारण बताते हुए, पॉलिसी दस्तावेज़ के इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक मोड की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, निगम को वापस किया जा सकता है। इसके प्राप्त होने पर, निगम द्वारा पॉलिसी को रद्द कर दिया जाएगा और बीमा–सुरक्षा अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम चिकित्सीय परीक्षण, (विशेष प्रतिवेदनों सहित, यदि कोई हो,) पर हुए व्ययों एवं स्टाँप ड्यूटी हेतु शुल्कों की कटौती के बाद जमा की गई प्रीमियम की राशि को वापस कर दिया जाएगा।

17. आत्महत्या अपवर्जन:

i) सीमित प्रीमियम पॉलिसी के अंतर्गत:

यदि बीमित व्यक्ति (चाहे मानसिक रूप से स्वस्थ हो या विक्षिप्त) इस पॉलिसी के अंतर्गत जोखिम शुरू होने की तिथि से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि से, जैसा कि लागू हो, 12 महीने के भीतर किसी भी समय आत्महत्या कर लेता है, तो बीमित व्यक्ति के नामिति या लाभार्थी को मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम (किन्हीं अतिरिक्त प्रीमियमों और करों को छोड़कर, यदि इन्हें स्पष्ट रूप से लिया गया है) के 80% को पाने की पात्रता होगा, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो।

यह खंड कालातीत पॉलिसियों के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि ऐसी पॉलिसियों के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होता है।

ii) एकल प्रीमियम पॉलिसी के अंतर्गत:

यदि बीमित व्यक्ति (चाहे मानसिक रूप से स्वस्थ हो या विक्षिप्त) जोखिम शुरू होने की तिथि से 12 महीनों के भीतर किसी भी समय आत्महत्या कर लेता है, तो बीमित व्यक्ति के नामिती या लाभार्थी को किन्हीं अतिरिक्त प्रीमियम या कर यदि कोई हो, को छोड़कर भुगतान की गई एकल प्रीमियम के 80% को पाने की पात्रता होगी, यदि इन्हें स्पष्ट रूप से लिया गया है।

18. शिकायत निवारण तंत्र:

निगम का:

ग्राहकों के शिकायतों के निवारण के लिए शाखा/ मंडलीय/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालयों में निगम के शिकायत निवारण अधिकारी होते हैं। ग्राहक जीआरओ के नाम और संपर्क संबंधी विवरणों और शिकायतों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट (https://licindia.in/web/guest/grievances) पर विज़िट कर सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए निगम ने अपने ग्राहक पोर्टल (वेबसाइट: http://www.licindia.in) के माध्यम से ग्राहक-अनुकूल, एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है, जहां पर कोई भी पंजीकृत पॉलिसीधारक शिकायत/परिवाद का पंजीकरण करा सकता है और उसकी स्थिति को देख सकता है। किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ग्राहक ई-मेल co_complaints@licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मृत्युगत दावों का अस्वीकृति के निर्णय से असंतुष्ट दावाकर्ताओं के पास, अपने मामलों के पुनरीक्षण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा परिवाद निवारण समिति या केंद्रीय कार्यालय दावा परिवाद निवारण समिति के पास ले जाने का विकल्प है। उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रत्येक दावा विवाद निवारण समिति का सदस्य होता है।

आईआरडीएआई का:

यदि ग्राहक हमारे उत्तर से संतुष्ट नहीं है या हमसे 15 दिनों के अंदर कोई उत्तर नहीं मिलता है तो ग्राहक, निम्नलिखित किसी भी माध्यम से संरक्षण और शिकायत निवारण कक्ष में जा सकता है:

i) टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (यानी आईआरडीएआई शिकायत कॉल सेंटर - (बीमा भरोसा शिकायत निवारण केंद्र) पर कॉल करें।

ii) complaints@irdai.gov.in पर ई-मेल करके

iii) इंटरनेट के माध्यम से https://bimabharosa.irdai.gov.in पर शिकायत दर्ज करके

iv) कूरियर/पत्र द्वारा शिकायत भेजने के लिए पता: महाप्रबंधक, पॉलिसीधारकों की सुरक्षा और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, सर्वे संख्या - 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, गाची बावली, हैदराबाद 500032, तेलंगाना।

लोकपाल का:

दावे से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, दावाकर्ता बीमा लोकपाल के पास भी जा सकते हैं जो ग्राहकों को कम लागत पर तीव्र मध्यस्थता प्रदान करते हैं।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45:

समय–समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे। वर्तमान प्रावधान इस प्रकार है:

1) पॉलिसी की तिथि, यानी पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के पश्चात जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर किसी भी आधार पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

2) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर धोखाधड़ी के आधार पर पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के हितलाभ की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के भीतर किसी भी समय प्रश्न उठाया जा सकता है:

बशर्ते, बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को ऐसे आधारों एवं तथ्य्यों की लिखित सूचना देनी होगी, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

स्पष्टीकरण । – इस उप–धारा के उद्देश्य से, अभिव्यक्ति "धोखाधड़ी" से आशय बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने, या बीमाकर्ता को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु उकसाने की मंशा से निम्नांकित में से कोई भी कृत्य किया जाता है :–

ए) सुझाव, उस बारे में एक तथ्य के रूप में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

बी) उस बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, जिसे उस तथ्य का ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

सी) धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

डी) ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित हो।

स्पष्टीकरण II – बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के आकलन को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में सिर्फ चुप रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार, बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता का यह कर्तव्य है, बोलने से चुप रहना, या अन्यथा उसकी खामोशी, अपने आप में बोलने के बराबर न हो।

3) उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पॉलिसी को धोखाधड़ी के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता है, अगर बीमित व्यक्ति/लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि उसके द्वारा की गई गलतबयानी उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही थी और उसने जानखबूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की या कथित गलतबयानी या महत्त्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था:

बशर्ते धोखाधड़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दायित्व लाभाथियों पर है अगर पॉलिसीधारक जीवित नहीं है।

स्पष्टीकरण – कोई व्यक्ति जो बीमा के अनुबंध का आग्रह और उसकी सौदेबाजी करता है, उसे संविदा के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का अभिकर्ता माना जाएगा।

4) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी करने की तिथि या जोखिम के आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की

तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय, इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि बीमित व्यक्ति के जीवनकाल से संबंधित किसी तथ्य को प्रस्ताव प्रपत्र में या किसी अन्य दस्तावेज में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चलित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, छिपाया गया था या गलत दिखाया गया था:

बशर्ते बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकृत करने का यह निर्णय लिया गया है:

बशर्ते महत्त्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धोखाधड़ी की स्थिति न होने पर, अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर जमा की गई सभी प्रीमियमों का भुगतान बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितियों को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप–धारा के प्रयोजन हेतु, किसी तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने को तब तक महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न हो, यह प्रमाणित करने का दायित्व बीमाकर्ता का होगा कि अगर बीमाकर्ता को स्थापित तथ्य की जानकारी होती तो वह बीमित व्यक्ति को यह जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करता।

5) इस धारा में निहित कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण मांगने से नहीं रोकती है, अगर वह इसके लिए अधिकृत है तथा किसी पॉलिसी पर केवल इसलिए प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि प्रस्ताव में गलत उल्लेख की गई बीमित व्यक्ति की उम्र को सबूत के आधार पर बाद में समायोजित किया गया था।

छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 का धारा 41):

1) किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ती से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के बारे में कोई बीमा लेने या उसका नवीनीकरण करवाने या उसे जारी रखने, देय कमीशन में से संपूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट देने या पॉलिसी पर दर्शाई गई प्रीमियम में से कोई भी छूट देने की अनुमति नहीं होगी या अनुमति प्रस्तावित नहीं होगी और न ही कोई व्यक्ति तब तक किसी तरह की छूट स्वीकार करके कोई पॉलिसी नहीं लेगा या उसका नवीनीकरण नहीं करवाएगा या उसे जारी नहीं रखेगा, जब तक कि ऐसी छूट बीमाकर्ता की तालिका या प्रकाशित विवरणिका के अनुसार मान्य न हो।

2) इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने से चूक करने वाला व्यक्ति जुर्माने से दण्डित होगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।

एलआईसी पर लागू होने वाले, बीमा अधिनियम, 1938 की विभिन्न धाराएं, समय–समय पर यथा संशोधित रूप से लागू होंगी।

यह उत्पाद विवरणिका इस योजना की केवल प्रमुख विशेषताएँ ही बताती है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारे निकटतम शाखा कार्यालय पर संपर्क करें।

कपटपूर्ण फोन कॉल और नकली/धोखाधड़ीपूर्ण प्रस्तावों से सावधान रहें।

आईआरडीएआई या इनके कर्मचारी बीमा व्यवसाय जैसे कि बीमा पॉलिसियों की बिक्री, बोनस की घोषणा या प्रीमियम्स के निवेश, राशियां लौटाना जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं। जिन पॉलिसीधारकों या संभावित ग्राहकों को ऐसे फ़ोन कॉल्स मिलें, वे कृपया पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करें।

कृपया पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करें।भारतीय जीवन बीमा निगम

''भारतीय जीवन बीमा निगम'' की स्थापना 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जीवन बीमा का विस्तार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के उद्देश्य के साथ की गई थी, जिससे कि यह देश के हर बीमा योग्य व्यक्ति तक पहुंच सके और उसे बीमा योग्य घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सके। भारतीय बीमा उद्योग के उदारीकरण के बाद भी एलआईसी निरतंर एक महत्त्वपूर्ण बीमा कंपनी की भूमिका निभा रहा है तथा अपने पुराने कीर्तिमानों को पीछे छोड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने अस्तित्व के छः दशकों को पार करते हुए एलआईसी अपने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक मजबूती के साथ निरंतर अग्रसर है।

पंजीकृत कार्यालय :

भारतीय जीवन बीमा निगम

केन्द्रीय कार्यालय,
योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई – 400021.
वेबसाइट: www.licindia.in
पंजीकरण संख्या : 512